



2026:AHC:16156

न्यायालय संख्या – 66

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2168/2026

आवेदक : सतेन्द्र

विपक्षी पक्ष : उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार मिश्र, राहुल कुमार मिश्र, वेद प्रकाश मिश्र

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : अम्बलेश्वर पाण्डेय, अनुज श्रीवास्तव, सरकारी अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,

1. सूची संशोधित की गई है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री वेद प्रकाश मिश्र, सूचनाकर्ता की ओर से श्री अम्बलेश्वर पाण्डेय तथा राज्य की ओर से श्री वी.के.एस. परमार, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह जमानत प्रार्थना पत्र वाद अपराध संख्या 531/2025, धारा 103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना – बागपत, जनपद – बागपत में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-

अभियुक्त करण को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2025 को पारित आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 43486/2025 के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक का मामला उक्त सह-अभियुक्त के समान है, अतः समानता के आधार पर उसे भी जमानत प्रदान की जानी चाहिए।

5. यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 30.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
6. जमानत प्रार्थना पत्र का विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रबल विरोध किया गया, तथापि सह-अभियुक्त के साथ समानता तथा आवेदक के आपराधिक इतिहास न होने के तथ्य का खंडन नहीं किया गया।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा विचारण लंबित होने को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नन्हा पुत्र नब्हान खाँ बनाम राज्य उ०प्र०, 1993 क्रि० ला० जर्नल 938 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय परस राम विश्रोई बनाम निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 में पारित निर्णय के साथ-साथ सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो व अन्य, (2022) 10 एससीसी 51 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाना उचित है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र समानता के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आवेदक – सतेन्द्र को उक्त वाद अपराध में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के निजी मुचलके एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। जमानतदारों का सत्यापन रिहाई आदेश निर्गत करने से पूर्व किया जाएगा—

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/डराने का प्रयास नहीं करेगा।

(iii) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ, विचारण न्यायालय को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 22 जनवरी, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।